न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 51/2021
जीसीएमएस संख्याः 2021/203

निर्णय दिनांक 02-05-2022

1. मेघसिंह पुत्र जेसराजसिंह जाति राजपूत बिदावत निवासी अणखीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. गुलाबसिंह पुत्र भोजराज सिंह जाति राजपूत बिदावत राठौड निवासी ग्राम अणखीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिमटसर जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोखा जरिये जरिये शार्खा प्रबन्धक, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 01—09—2021

उपस्थितः—

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौयिा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक
4. श्री अवनीश हर्ष, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
5. श्री भारत रत्न व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विज्ञापन के लिए सम्प... डिजिटल माध्यम से ... न्याय हमेशा,

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 01–09–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की भूमि वाके रोही अणखीसर के खसरा नम्बर 716 में स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 715 में स्थित है जो अपीलांट की भूमि के दक्षिण में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट की भूमि में से रास्ता प्रदान किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत किया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चिपता खेत खसरा नम्बर 714 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई के पुत्र का खेत है जिसमें से रेस्पोडेन्ट को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। उक्त खसरा नम्बर 714 की भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पूर्व में सयुंक्त खाते की भूमि थी एवं यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ते की आवश्यकता थी तो वो सर्वप्रथम अपने भाई व भाई के पुत्र की भूमि में से रास्ते की मांग करता क्योंकि वर्षों से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इसी भूमि में से आवागमन करता आ रहा है। लेकिन केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से अपीलांट की भूमि से नवीन रास्ते की मांग की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से जो नवीन रास्ता प्रदान किया है उससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जो कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की जानी थी मगर उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर रिपोर्ट तैयार की गई है। गिरदावर हल्का ने मौका रिपोर्ट में अंकन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व में खसरा नम्बर 716 के मध्य से जाता था उस रास्ते को अपीलांट व उसके पुत्रों ने बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

251 ए आरटीए से संबंधित ना होकर धारा 251 आरटीए से संबंधित है जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय से जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो बिन्दुवार मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था मगर गिरदावर हल्का द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है वो अपूर्ण एवं बिन्दुवार नही भेजी है। उक्त रिपोर्ट में जिन जिन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था उन बिन्दुओं पर गिरदावर हल्का द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए नहीं भिजवाई गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने के पश्चात भी अदालत मातहत के समक्ष नवीन रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन रास्ता स्वीकृत कर दिया गया जो धारा 251 ए आरटीए की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018–19 सप पेज 404, आरआरटी 2018–19 पेज 342, आरएलडब्ल्यू 2017 पेज 551, आरएलडब्ल्यू 2016 (2) पेज 982, आरबीजे 2015 पेज 401 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसीलदार कार्यालय से मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं निकटतम रास्ता ही स्वीकृत किया गया है।

आगे उन्होंने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, उक्त फर्द मौका तैयार करते समय अपीलांट उपस्थित थे एवं उन्होंने फर्द पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जिसका अंकन फर्द मौका में किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि फर्द मौका एकतरफा तौर पर पारित की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु किसी प्रकार के कोई कटानी/कदीमी रास्ता उपलब्ध नहीं था। पहले खेत खाली होने से रेस्पोडेन्ट कहीं से भी आवागमन करता आ रहा था मगर वर्तमान में खातेदारों द्वारा अपने–अपने खेतों में तारबंदी कर ली गई है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए की मंशा अनुसार एवं प्रावधानों के मध्यनजर ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया है एवं अपीलाधीन आदेश की पालना में नवीन रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जा चुका है अब अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022–23 सप पेज 521, आरआरटी 2024 पार्ट।। पेज 1375, आरआरटी 2022–23 सप पेज 43, आरआरटी 2024 ।। पेज 1428, आरआरटी 2023 । पेज 699 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा खेत खसरा नम्बर 716 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार नोखा से अपने पत्र क्रमांक एसडीओ/नोखा/कोर्ट/20/239 दिनांक 22–09–2020 द्वारा 5 बिन्दुओं पर बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट गिरदावर हल्का एवं हल्का पटवारी की उपस्थिति में तैयार की गई है जो नियम 69 के अनुरूप है मगर उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा जिन बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी गई थी उन बिन्दुओं पर किसी प्रकार की बिन्दुवार टिप्पणी ना करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का अवलोकन किया गया। धारा 251 ए के अनुसारः– Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.- (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet. उक्त प्रावधान के तहत अधीनस्थ न्यायालय को नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व निकटतम रास्ते का चयन करना होता है। प्रकरण में गिरदावर हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत में आवागमन हेतु रास्ते के क्या–क्या विकल्प सम्भावित है। एकाधिक विकल्पों की स्थिति में निकटतम रास्ते का विकल्प कौनसा है। रेस्पोडेन्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार कर रहा है कि खसरा नम्बर 716 के पश्चिमी दिशा से कटानी मार्ग तक का रास्ता निकटतम है परन्तु उस रास्ते में रेत का बडा टीबा है, जबकि गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में इसका कहीं उल्लेख नही है। गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 716 की पूर्वी सींव से रास्ता निकटतम बताया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मौके की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्कता है अथवा नहीं? प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? मौके पर प्रस्तावित रास्तों में से निकटतम रास्ता कौनसा है? क्या पूर्व में रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 714 में से अपने पारिवारिक सदस्यों के खेत से आवागमन किया जाता था? इन समस्त

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए इन तथ्यों की संक्षिप्त जांच करते हुए निर्णय पारित किया जाना था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्त योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 01–09–2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर, मौका रिपोर्ट पर बिन्दुवार स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त करते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों की संक्षिप्त जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–05–2025 को उपस्थित हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

निर्णय आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर